

प्रेषित:-

समस्त अखबार प्रकाशन,
अमर उजाला/दैनिक जागरण/उत्तर उजाला/हिन्दुस्तान,
जिला अल्मोड़ा।

पत्रांक: मैमो/जि0वि0से0प्रा0, अल्मोड़ा/2024

दिनांक 23-10-2024

विषय: दि0 14.12.2024 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार प्रसार अपने-अपने समाचार पत्रों में किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

माननीय उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के पत्रांक संख्या 2018/XVII-A-24/X/2024/SLSA, दिनांकित 17 अक्टूबर, 2024 के अनुपालन में दिनांक 14-12-2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर, सभी संलग्नक सूची में वर्णित विषयों से संबंधित अधिक से अधिक वादों को राजीनामे के आधार पर निस्तारित किया जाना है।

अतः आप दिनांक 14.12.2024 को सभी संलग्नक सूची में वर्णित विषयों से संबंधित मामलों हेतु आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सूचना अपने-अपने अखबार प्रकाशनों में प्रकाशित करवाये जाने का कष्ट करें, ताकि अधिक से अधिक लोग अपने-अपने मुकदमों को राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित करवाकर, लाभान्वित हो सकें। उक्त संबन्ध में हुए दैनिक प्रचार-प्रसार की सूचना अखबार प्रकाशन की कटिंग आदि के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में प्रतिदिन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के व्हाटसएप नम्बर 9456596757 व ईमेल आई0डी0-dlsa-alm-uk@gov.in पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:- वादों की सूची।

भवदीया,

Shachi Sharma

(शचि शर्मा), 23/10/24

सिविल जज (सी0डि0)/सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
अल्मोड़ा।

1. दीवानी मामले
2. समझौता योग्य आपराधिक मामले
3. एनआई एक्ट धारा 138 के तहत मामले
4. धन वसूली के मामले
5. श्रम विवाद मामले
6. सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित विवाद जैसे बिजली और पानी बिल मामले आदि (गैर-शमनयोग्य को छोड़कर)
7. भरण-पोषण के मामले
8. आपराधिक शमनीय अपराध
9. एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत मामले
10. धन वसूली के मामले
11. मोटर दुर्घटना दावा मामले
12. श्रम विवाद मामले
13. सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित विवाद जैसे बिजली और पानी बिल मामले आदि (गैर-शमनयोग्य को छोड़कर)
14. वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर) / पारिवारिक विवाद
15. पेंशन मामलों सहित सेवा मामले
16. भूमि अधिग्रहण मामले
17. राजस्व और अन्य सहायक मामले उच्च न्यायालय, जिला न्यायालयों और राज्य/जिला/तालुका अधिकारियों के समक्ष लंबित हैं
18. आईपीआर मामले/उपभोक्ता मामले/किसी अन्य अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष लंबित अन्य मामले भी
19. अन्य सिविल मामले (किराया, आसान अधिकार, निषेधाज्ञा मुकदमे, विशिष्ट प्रदर्शन मुकदमे) आदि।
20. मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत शमनीय यातायात चालान